तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुकम में
20-5-24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित है तदनुसार रिपोर्ट प्राप्त अवलोकन किया। अब पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28-5-24 को पेश होवे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अलवर	
28-5-24	पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति तदनुसार अमलदर को भिजवाई जाकर पत्रावली नम्बर से खारिज हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अलवर	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/01	01.02.2023	136 LR Act	28.05.2024

बउनवान

01:–श्री मोहर सिंह पुत्र श्री रणजीता जाति जाट निवासी ग्राम डूमेडा तहसील व जिला अलवर

—–प्रार्थी

बनाम

01:–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर

असल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता स0 35 खसरा नम्बर 244 रकबा 0.06 है0, 253 रकबा 0.16 है0 275 रकबा 0.09 है0, 299 रकबा 0.09 है0 कुल किता 4 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम डूमेडा तहसील अलवर मे है जो आराजी इस प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजी है बन्दोवस्त सम्वत 2051 मे राजस्व कर्मचारियो द्वारा हम प्रार्थी का नाम मोहर सिंह के स्थान पर मोहन सिंह दर्ज वो अंकित कर दिया गया जो अंकन गलत वो त्रृटिपूर्ण अंकन की जानकारी प्रार्थी को पूर्व मे नही हो सकी अब प्रार्थी को हाल राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर उक्त त्रृटि का ज्ञान हुआ है राजस्व कर्मचारियो द्वारा उपरोक्त राजस्व रिकार्ड की बावत बन्दोवस्त सम्वत 2051 मे की गई सहवन पूर्व त्रृटि को दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थीगण से दिनॅाक 12–1–21 को निवेदन करने पर अप्रार्थीगण द्वारा इन्कारी का जवाव दिया तथा रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय से अहकाम जारी कराने के लिये कहा गया जिससे यह प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

श्रीमान की सेवा मे पेश है उक्त वादग्रस्त आराजीयात ग्राम डूमेडा तहसील व जिला अलवर जिससे उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का न्यायक्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट मंजूर कर आराजी खाता स0 35 खसरा नम्बर 244 रकबा 0.06 है0, 253 रकबा 0.16 है0, 275 रकबा 0.09 है, 299 रकबा 0.09 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम डूमेडा तहसील अलवर व जिला अलवर राजस्थान की बावत प्रार्थी का नाम बन्दोवस्त सम्वत 2051 मे सहबन वो त्रृटि पूर्वक मोहर सिंह के स्थान पर मोहन सिंह दर्ज वो अंकित कर दिया गया जिस त्रृटि को दुरूस्त करते हुये प्रार्थी का नाम मोहर सिंह दर्ज वो अंकित किये जाने का अहकाम जारी करने की कृपा करे। मुकदमा प्रार्थना पत्र पक्षकारान अदालत श्रीमान के सीमा क्षेत्र के है इसलिये यह प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के श्रवणयोग्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किया गया प्रकरण मे तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार अलवर ने रिपोर्ट कमांक एल.आर/2023/6264 दिनांक 13.07.2023 को प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक हाल राजस्व वाके ग्राम डूमेडा तहसील अलवर ख0न0 244 रकबा 0.06 किस्म चाही 3, ख0 न0 253 रकबा 0.16 है0 किस्म बारानी 1, ख0 न0 275 रकबा 0.09 है0 किस्म चाही 2 एंव ख0 न0 299 रकबा 0.09 है0 किस्म गे0 मु0 चाह वाके ग्राम डूमेडा तहसील अलवर मोहनसिंह पुत्र रणजीता जाति जाट वगै0 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है मुताबिक मिसल बन्दौवस्त सम्वत 2051 वाके ग्राम डूमेडा तहसील अलवर हाल ख0 न0 244/0.06, 253/0.16, 275/0.09, 299/0.06, साबिक ख0न0 153 रकबा ।), 161 रकबा ।।)3, 172 रकबा ।)2, 188।)2 से कायम हुये है मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2047–50 वाके ग्राम डूमेडा तहसील अलवर मे खाता स0 132 मे दर्ज साबिक ख0 न0 153 रकबा 05 बिस्वा, 161 रकबा 13 बिस्वा, 172 रकबा 07 बिस्वा, 188 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा मोहरसिंह पुत्र रणजीता जाति जाट वगै0 खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है मुताबिक मिसल बन्दोवस्त सम्वत 2051 वाके ग्राम डूमेडा तहसील अलवर खाता स0 136 मे उक्त

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बरानो पर मोहरसिंह पुत्र रणजीता के स्थान मोहनसिंह पुत्र रणजीता दर्ज किया गया जो भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा शुद्विकरण के लिये उक्त संशोधन के सम्बन्ध मे वांछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका सत्यापन तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट एंव अभिशंषा से भी होता है रिपोर्ट/रिकार्ड अनुसार 244/0.06, 253/0.16, 275/0.09, 299/0.06, साबिक ख0न0 153 रकबा I), 161 रकबा I I)3, 172 रकबा I)2, 188 I)2 से कायम हुये है मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2047–50 वाके ग्राम डूमेडा तहसील अलवर मे खाता स0 132 मे दर्ज साबिक ख0 न0 153 रकबा 05 बिस्वा, 161 रकबा 13 बिस्वा, 172 रकबा 07 बिस्वा, 188 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा मोहरसिंह पुत्र रणजीता जाति जाट वगै0 खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है मुताबिक मिसल बन्दोवस्त सम्वत 2051 वाके ग्राम डूमेडा तहसील अलवर खाता स0 136 मे उक्त खसरा नम्बरानो पर मोहरसिंह पुत्र रणजीता के स्थान मोहनसिंह पुत्र रणजीता दर्ज किया गया

अतः ऐसी स्थिति मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 मे पोषणीय होने के कारण प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

जाते है कि ग्राम बूमेडा तहसील अलवर खाता स0 136 मे उक्त खसरा नम्बरानो पर मोहनसिंह पुत्र रणजीता के स्थान मोहरसिंह पुत्र रणजीता दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 28.5.24 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

Scanned with OKEN Scanner